न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–16/अ–59/2017–18/ 12055 बैतूल दिनांक 07/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 35 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम देशावाड़ी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 638 रकबा 0.530 हेक्टेयर पर पर रामेश्वर पिता शिवरतन कतिया, शंकर पिता शिवरतन कतिया, ओसे जौजे किशोरी परधान, कमल पिता जीरा गोण्ड, निर्मला जौजे मंगल परधान द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है, तथा वं खसरा नंबर 642 रकबा 0.186 हेक्टेयर भूमि पर मोहन पिता मंगल गायकी, गोरेलाल पिता बिरजलाल लोहार, श्यामबाई पिता अनोखी कतिया द्वारा मकान बनाकर निवास किया जा रहा है। अतएव शासन के निर्देशानुसार उक्त खसरा नंबर पर निवासरत व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि को आबादी घोषित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा देशावाड़ी स्थित 638 रकबा 0.530 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 642 रकबा 0.186 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– दिनांक 17–8–2017 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जाकर ग्राम देशावाड़ी में 40 वर्ष से मकान बनाकर निवास करने वाले व्यक्तियो की भूमि जो गोठान के लिए नियुक्त है, उसे आबादी घोषित करने ठहराव किया गया है।

(3)– वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा देशावाड़ी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 638 रकबा 0.530 हेक्टेयर, तथा खसरा नंबर 642 रकबा 0.146 हेक्टेयर भूमि चरनोई मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त दोनो खसरा नंबर घॉस मद में दर्ज है।

(4)– ग्राम देशावाड़ी का मकबूजा रकबा 964.967 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 7.485 हेक्टैयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 19.300 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का उपलब्ध रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से कम है।

(5)– तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम देशावाड़ी मे उपलब्ध चरनोई का रकबा, ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से कम होने के कारण घॉस मद की भूमि को आबादी घोषित किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण नस्ती किया जाना उचित होगा।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– क्रमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– ग्राम देशावाड़ी मे उपलब्ध चरनोई का रकबा, ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत से कम होने के कारण इस ग्राम की चरनोई/घॉस मद की भूमि का मद परिवर्तन किए जाने में वैद्यानिक कठिनाई है। अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला बैतूल.

पृ0क0:– 16/अ–59/2017–178/ 12055 बैतूल दिनांक 07/11/2017

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।

2– तहसीलदार शाहपुर ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत देशावाड़ी जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला बैतूल.